भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

11.03.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 3143 का उत्तर

ऐप-आधारित रेल पार्सल प्लेटफ़ॉर्म

3143. श्री जी. एम. हरीश बालयोगी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शुरुआत से अब तक 'द्वार-से-द्वार' (डोर-टू-डोर) माल और पार्सल रसद पहलों, स्थापित एकीकृत रसद हबों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक की वर्तमान स्थिति, ज़ोन और वर्ष/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या है;

(ख) रेलवे और इंडिया पोस्ट के बीच 'संयुक्त पार्सल उत्पाद' का मार्गों, प्रबंधित परेषणों (कंसाइनमेंट्स), अर्जित राजस्व और विस्तार योजनाओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दक्षिण मध्य रेल 'द्वार-से-द्वार' पार्सल बुकिंग के लिए ऐप-आधारित रेल पार्सल प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है और यदि हाँ, तो प्रायोगिक दायरे और विस्तार योजनाओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान ज़ोन-वार 'द्वार-से-द्वार' सेवाओं से ऑनबोर्ड किए गए निजी रसद भागीदारों की संख्या, राजस्व-साझाकरण तंत्र और अर्जित कुल राजस्व का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) दक्षिण मध्य रेल (एससीआर) विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में सृजित पार्सल बुनियादी ढांचे और प्रस्तावित 'द्वार-से-द्वार' सेवाओं का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सड़क-आधारित रसद की तुलना में लागत और समय के लाभों का कोई आकलन किया गया है और यदि हाँ, तो डिजिटल रसद प्लेटफॉर्म के राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वयन की रूपरेखा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): भारतीय रेल द्वारा माल यातायात संभार-तंत्र और क्षेत्रीय रेलसंपर्क के सुदृढ़ीकरण के लिए, माल यातायात दक्षता का संवर्धन करने, निर्बाध क्षेत्रीय रेलसंपर्क सुनिश्चित करने और

ठोस प्रथम-एवं-अंतिम मील समाधान उपलब्ध कराने के लिए एक बहुमुखी कार्यनीति का कार्यान्वयन किया गया है।

टर्मिनलों पर रेल माल यातायात संभलाई की दक्षता में सुधार लाने के लिए, भारतीय रेल द्वारा दोमुखी विधि अपनाई गई है: गति शक्ति मल्टी-मोडाल कार्गो टर्मिनल (जीसीटी) नीति के तहत आधुनिक रेल माल टर्मिनलों के विकास को प्रोत्साहित करना और रेल के स्वामित्व वाले माल शेडों में अवसंरचना का संवर्धन/उन्नयन करना। अब तक, 125 जीसीटी चालू किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, पूरे देश में माल और पार्सल टर्मिनलों पर ग्राहक सुविधाओं में सुधार के लिए, वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के लिए 14,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

कॉनकोर, रेल मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक उपक्रम द्वारा भी दिल्ली-कोलकाता और मुंबई-कोलकाता सेक्टरों में जेपीपी-आरसीएस का उपयोग करके द्वार-दर-द्वार पार्सल सेवाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। कॉनकोर सोनिक गुड्स शेड में एक पायलट परियोजना के तहत द्वार-दर-द्वार संभार-तंत्र सेवाएं भी उपलब्ध करा रहा है।

भारत पोस्ट के साथ संयुक्त पार्सल उत्पाद (जेपीपी) पहल को 2022 में पायलट आधार पर कुछ मार्गों पर शुरू किया गया था ताकि ई-कॉमर्स और एमएसएमईबाजार पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यवसाय-से-ग्राहक और व्यवसाय-से-व्यवसाय (बी2सी) बाजार को लक्षित किया जा सके, और 35 किलोग्राम से 100 किलोग्राम की (बी2सी) वजन श्रेणी के बाजार रुझानों के अनुसार एक किफायती मूल्य प्रदान किया जा सके। इस योजना के तहत भारत पोस्ट ने पहले और अंतिम मील सेवाएं प्रदान की एवं भारतीय रेल ने मध्य मील सेवाएं प्रदान कीं।

पायलट परियोजना से प्राप्त अनुभव के आधार पर, जेपीपी योजना को अन्य पार्सल एग्रीगेटरों के लिए भी उपलब्ध कराया गया और इसका नाम बदलकर संयुक्त पार्सल उत्पाद - तीव्र कार्गो सेवा (जेपीपी-आरसीएस) कर दिया गया। इस योजना के तहत जेपीपी-आरसीएस (वीपी की इकाइयों में) की ऑनलाइन बुकिंग भारतीय रेल द्वारा विकसित 'वर्चुअल एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म' (वीएपी) के माध्यम से एम्पेनेल्ड पार्सल एग्रीगेटर द्वारा की जाती है। वर्तमान में विशिष्ट स्थानों के बीच 07 जोड़ी अनुसूचित (समय सारणीबद्ध) सेवाएं परिचालित की जा रही हैं, जिन्हें बाजार की मांग और परिचालन व्यवहार्यता के आधार पर योजनाबद्ध किया गया है। चालू वर्ष (फरवरी, 2026 तक) के दौरान जेपीपी-आरसीएस से उत्पन्न कुल राजस्व लगभग 56 करोड़ रुपये है।

दक्षिण मध्य रेल ने एक वर्ष की अवधि के लिए दिनांक 25.02.2026 को रेलवे पार्सल लॉजिस्टिक्स के लिए एक व्यापक ऐप-आधारित प्लेटफॉर्म के विकास के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है। इस पायलट परियोजना के तहत लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर डोर-टू-डोर पार्सल सेवा प्रदान की जा रही है। एकीकृत पार्सल लॉजिस्टिक्स ऐप 'रेल पार्सल' को एक डिजिटल मार्केटप्लेस के रूप में विकसित किया गया है, जिसमें चयनित लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता भागीदारों के रूप में शामिल हैं। ये लॉजिस्टिक्स भागीदार पहले मील की पिकअप, अंतिम मील की डिलीवरी, पैकेजिंग जैसी मूल्यवर्धित सेवाएं आदि सहित कई तरह की सेवाएं प्रदान करते हैं, जिसमें रेलवे रेल सेवाओं के माध्यम से मध्य मील का परिवहन प्रदान करता है।

इस परियोजना को सात शहरों हैदराबाद, विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा, गुंटूर, राजमंडी बेंगलुरु और चेन्नई के सत्रह स्टेशनों पर लागू किया जा रहा है। वर्तमान में, तीन निजी लॉजिस्टिक्स भागीदारों को रुचि की अभिव्यक्ति प्रक्रिया के माध्यम से बोर्ड पर रखा गया है।

सभी रेल मंडलों में कार्यरत व्यापार विकास इकाइयों को सलाह दी गई है कि वे यातायात का आकलन करने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत करें और साथ ही पहली और अंतिम मील सेवा के लिए लॉजिस्टिक्स की उपलब्धता और तत्परता का आकलन करें।

अखिल भारतीय आधार पर ऐप को लागू करने का निर्णय परियोजना से प्राप्त अनुभव के आधार पर लिया जाएगा।

*****